

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
 प्रकरण क्रमांक 882/2016
 संस्थापित दिनांक 23/12/2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. सुनील पुत्र पुतू लाल शर्मा उम्र
 24 वर्ष ग्राम पिपरसाना थाना गोहद
 जिला भिण्ड म.प्र.

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 279 एवं मोटरयान अधि. की धारा 3/181 एवं 146/196 भा.दं.सं)
 (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)
 (आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री ए.बी.पाराशर)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 02/03/17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 21/11/16 को दिन के करीबन 11 बजे चितौरा पेट्रोल पम्प के सामने लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए मोटरसाइकिल क्र. एमपी06 एमएफ 8783 में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी गजाधर को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहति एवं आहत पुष्पादेवी को चोट पहुंचाकर उसे अस्थिभंग कारित कर गम्भीर उपहति कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 279, 337 एवं 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21/11/16 को फरियादी गजाधर अपनी पत्नी पुष्पा देवी के साथ मोटरसाइकिल क्र. एमपी06 एमएफ 8783 से अपनी रिश्तेदारी में मौ जा रहा था। वह जैसे ही चितौरा पेट्रोल पम्प के सामने पहुंचा था तो मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 का चालक सुनील शर्मा मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से उसके सिर में व बांये कंधे में चोट आयी थी। मौके पर डायल 100 आ गयी उसने अस्पताल में भर्ती कराया था। फरियादी गजाधर की सूचना पर मौके पर ही देहाती नालशी लेखबद्ध की गयी थी। तत्पश्चात् पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 344/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. ये उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी गजाधर एवं आहत पुष्पा द्वारा आरोपी से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा.दं.सं. की धारा 337 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा.दं.सं. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा [3/181](#) एवं [146/196](#) के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किय है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 21/11/16 को दिन के करीबन 11 बजे चितौरा पेट्रोल पम्प के सामने लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2. क्या आरोपी के पास घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 को चलाने का बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था?

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी गजाधर अ.सा. 1, आहत पुष्पा अ.सा.2, प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा. 3 एवं ए.एस.आई. हरी सिंह बघेल अ.सा. 4 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी गजाधर अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी सुनील को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से तीन-चार महीने पहले की है वह अपनी मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी पुष्पादेवी के साथ मौ जा रहा था तो चितौरा पेट्रोल पंप के सामने एक मोटरसाइकिल का चालक मोटरसाइकिल को तेजी से चलाते हुए लाया था और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी टक्कर लगने से वह और उसकी पत्नी गिर गये थे और उसे चोटें आ गयी थीं। मौके पर डायल 100 आ गयी थी उसने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। उसने घटना स्थल पर रिपोर्ट लिखाई थी। देहाती नालशी प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने

अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 के चालक सुनील शर्मा ने मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी।

10. आहत पुष्पा अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से तीन-चार महीने पहले की है वह अपने पति गजाधर के साथ मोटरसाइकिल से मौ जा रही थी तो चितौरा पेट्रोल पंप के सामने एक मोटरसाइकिल का चालक मोटरसाइकिल को तेजी से चलाते हुए लाया था और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से वह और उसके पति गिर गये थे और उनके चोटें आ गयी थीं। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 के चालक सुनील शर्मा ने मोटरसाइकिल को तेजी और लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी।

11. प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा. 3 ने प्रदर्श पी 5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं ए.एस.आई. हरी सिंह बघेल अ.सा. 4 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. ये उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी गजाधर एवं आहत पुष्पा द्वारा आरोपी से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा.दं.सं. की धारा 337 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा.दं.सं. की धारा 279 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के अंतर्गत विचारण शेष है।

14. उक्त संबंध में फरियादी गजाधर अ.सा. 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह अपनी पत्नी पुष्पा देवी के साथ मोटरसाइकिल से मौ जा रहा था तो चितौरा पेट्रोल पंप के सामने एक मोटरसाइकिल का चालक मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया था और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। आहत पुष्पा अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने पति गजाधर के साथ मोटरसाइकिल से मौ जा रही थी तो चितौरा पेट्रोल पंप के सामने एक मोटरसाइकिल चालक ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। उक्त दोनों ही साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी सुनील शर्मा ने आरोपित मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी।

15. इस प्रकार फरियादी गजाधर अ.सा. 1 एवं पुष्पा अ.सा. 2 ने अपने कथन में उनका घटना दिनांक को एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नम्बर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षीगण द्वारा इस तथ्य से भी इंकार किया गया है कि आरोपी सुनील ने आरोपित मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी।

16. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 1 की देहाती नालशी में आरोपी सुनील द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित किये जाने का उल्लेख है, परंतु यह बात फरियादी गजाधर अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बतायी है। उक्त साक्षी द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी सुनील ने आरोपित मोटरसाइकिल को चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित की थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करने वाली बात देहाती नालशी प्रदर्श पी 1 में पुलिस को बताई थी। इस प्रकार फरियादी गजाधर अ.सा. 1 एवं पुष्पा अ.सा. 2 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

17. प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा. 3 द्वारा प्रदर्श पी 5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया जाता है एवं ए.एस.आई. हरी सिंह बघेल अ.सा. 4 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है उक्त साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। प्रकरण में आयी साक्ष्य को देखते हुए उक्त बिंदु पर उक्त साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

18. समग्र अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में फरियादी गजाधर अ.सा. 1 एवं आहत पुष्पा अ.सा. 2 ने एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। गजाधर अ.सा. 1 एवं पुष्पा अ.सा. 2 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। साक्षी प्रमोद पावन अ.सा. 3 एवं ए.एस.आई. हरी सिंह बघेल अ.सा. 4 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपित मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 को आरोपी सुनील चला रहा था एवं आरोपी सुनील ने आरोपित मोटरसाइकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी गजाधर की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर वाहन दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

19. जहां तक आरोपी के पास घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाइकिल का बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस न होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को आरोपी सुनील आरोपित मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 को चला रहा था। ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि घटना दिनांक को आरोपी के पास आरोपित मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 को चलाने का बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अतः आरोपी को उक्त अपराध में भी दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

20. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 21/11/16 को दिन के करीबन 11 बजे चितौरा पेट्रोल पम्प के सामने लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के

अभाव में आरोपी सुनील पाराशर को भा.द.सं. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

22. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

23. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्र. एमपी30 एमजी 4307 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 02 /03 /2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
आसकीय / विधिक उपयोग हेतु अमा